

किसान घोषणा एवं कम्पनी चयन फार्म (सरल पोर्टल)

पुरानी सरल आई.डी. आवेदक का नाम :

पिता का नाम गांव व खण्ड :

तहसील जिला

सौलर पम्प क्षमता :टाईप (ए.सी./ डी.सी.) :

सबटाईप(सरफेस / सबमर्सीबल):कन्ट्रोलर (नॉर्मल / यूनिवर्सल):

कम्पनी का नाम 1.

प्रमाणित किया जाता है कि—

1. मेरी भूमि पर बिजली पंप का कोई क्नेक्शन नहीं हैं।
2. मेरे परिवार ने पूर्व में विभाग की योजना के तहत सोलर पंप स्थापित नहीं किया है।
3. मैंने पम्प की कैपेसिटी अनुसार चयनित कम्पनीयों की सूचना विभाग की वैबसाइट www.hareda.gov.in पर उपलब्ध कम्पनीयों में से एक का चयन अपनी प्राथमिकता के अनुसार किया हैं। यदि मेरे द्वारा चयनित कम्पनी का चयन उसकी तय मासिक क्षमता से अधिक हो या उसका कार्यान्वयन क्षमतानुसार न हो या उसकी अधिकतम क्षमता का चयन हो चुका हो तो विभाग मेरे द्वारा चयनित कम्पनी को बदलता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।
4. मैं सुक्ष्म सिंचाई प्रणाली / भूमिगत पाइपलाईन अपने खेत में सोलर पंप लगाने से पहले स्थापित करूंगा/करूंगी (यदि अभी तक नहीं लगाया है तो) अगर मैं ऐसा नहीं करता / करती हूँ तो विभाग पूरी अनुदान राशि मुझसे वापिस लेने और उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।
5. मैं सोलर पंप किसी को नहीं बेचूंगा/बेचूंगी और न ही विभाग की अनुमति के बिना सोलर पंप स्थापित जगह से स्थानांतरित करूंगा/करूंगी। अगर मैं ऐसा करता / करती हूँ तो विभाग पूरी अनुदान राशि मुझसे वापिस लेने और उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।
6. मैं भविष्य में बिजली आधारित क्नेक्शन के लिए आवेदन नहीं करूंगा/करूंगी।
7. मेरे द्वारा दी गई सूचना अगर गलत पाई जाती है तो विभाग अनुदान राशि वापिस लेने का हकदार होगा।
8. मैंने इस योजना के दिशा – निर्देश व तकनीकी जानकारी पढ़ व समझ ली है एवं उनका पालन करूंगा/ करूंगी।

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....

दिनांक

मोबाइल.....

आवश्यक दिशानिर्देश :—

1. यदि सी.एस.सी. केन्द्र/सरल केन्द्र/ कम्प्यूटर सेंटर फार्म भरते समय इस फार्म में भरी जानकारी के अलावा किसी अन्य कम्पनी का ऑनलाईन फार्म में चयन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।
2. यदि कोई किसान के फर्जी हस्ताक्षर करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।
3. कम्पनीयों की क्षमतानुसार सूची व योजना के दिशा निर्देश व तकनीकी जानकारी विभाग की वैबसाइट www.hareda.gov.in पर उपलब्ध है।
4. यदि किसान को कोई जानकारी लेनी है तो अपने जिले के परियोजना अधिकारी से सम्पर्क करें।
5. एक परिवार पहचान पत्र (PPP) पर एक ही सोलर पम्प का आवेदन कर सकते हैं।